<u>पंजीकृत ए.डी.डाक से</u>

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

ई–मेल.complaint.dhs@gmail.com
0755.2527137

क्रमांक / 4 / शिकायत / अना.अनु / फा.624 / भोपाल, दिनांक / 12 / 2020

प्रति,

डॉ0 प्रकाश देशमुख,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, बैतूल (म.प्र.)

द्वारा :–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला–बैतूल (म.प्र.)

विषय:–कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित–विभागीय जांच ।

–00–

आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 14 (3) अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप–पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित की जाती है। आरोप–पत्र में अंकित आरोप जिस पर अभिकथन आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप–पत्र एवं अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है,वह भी संलग्न हैं।

2. आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हे ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहाते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–गुना म.प्र. के माध्यम से प्राप्त नहीं होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जावेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

***<u>संलग्नः</u>*–1.आरोप–पत्र, 2.अभिकथन–पत्र, 3.अभिलेखो की सूची।**

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.........2

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.624/162 भोपाल, दिनांक 24/12/2020

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

(1) प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।

(2) क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, संभाग, भोपाल म.प्र.।

(3) कलेक्टर, जिला बैतूल म.प्र.।

(4) उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय।

(5) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय बैतूल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन **प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।**

(6) प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।

(7) आदेश नस्ति।

(सपना एम. लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

आरोप–पत्र

डॉ0 प्रकाश देशमुख, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बैतूल के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आपको सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बैतूल का पत्र कमांक/स्था./2020/3469 दिनांक 15.09.2020, द्वारा अवगत कराया गया कि आप अपने कार्य स्थल से दिनांक 17.07.2020 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (पद्धए;पपद्धए;पपप) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन–पत्र

डॉ0 प्रकाश देशमुख, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बैतूल के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक, 1 के लिये :–

यह कि आपको सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बैतूल का पत्र कमांक/स्था./2020/3469 दिनांक 15.09.2020, द्वारा अवगत कराया गया कि आप अपने कार्य स्थल से दिनांक 17.07.2020 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय, बैतूल में आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उंपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें। किंतु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (पद्धए;पपद्धए;पपप) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: अभिलेखों की सूची ::

डॉ0 प्रकाश देशमुख, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बैतूल के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :-

1- कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बैतूल का पत्र कमांक/स्था./20/3469 दिनांक 15.09.2020

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

:: गवाहों की सूची ::

डॉ0 प्रकाश देशमुख, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बैतूल के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत गवाहों की सूची :-

1- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीधी म.प्र.।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी.डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.571/ 47/- भोपाल, दिनांक 2/03/2020,

प्रति,

डॉ0 फैजल अंसारी,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय,सीहोर(म.प्र.)

द्वारा :–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–सीहोर (म.प्र.)

विषयः–कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित–विभागीय जांच ।

–00–

आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 14 (3) अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप–पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। आरोप–पत्र में अंकित आरोप जिस पर अभिकथन आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप–पत्र एवं अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है,वह भी संलग्न हैं।

2. आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हे ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहाते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

6. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–गुना म.प्र. के माध्यम से प्राप्त नहीं होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जावेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–1.आरोप–पत्र, 2.अभिकथन–पत्र, 3.अभिलेखो की सूची।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.........2

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.571/ 48/ भोपाल, दिनांक 2 /03/2020,

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

(1) प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।

(2) क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।

(3) कलेक्टर,जिला सीहोर म.प्र.।

(4) कार्यालय, आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।

(5) उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय।

(6) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय सीहोर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन **प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।**

(7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर म.प्र.।

(8) प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।

(9) आदेश नस्ति।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

आरोप–पत्र

डॉ0 फैजल अंसारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप जिला चिकित्सालय, सीहोर में पदस्थ है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा उनके पत्र कमांक/स्था./3696, दिनांक 03.10.2019 एवं संलग्न परिशिष्ट "अ" द्वारा अवगत कराया गया है कि संचालनालय के आदेश कमांक/01–जी/विज्ञप्त/सेल–5/1295, दिनांक 19.07.2019 के द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत आपको जिला चिकित्सालय सीहोर में पदस्थ किया गया था। आपने जिला चिकित्सालय सीहोर में दिनांक 22.07.2019 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दिनांक 23.07.2019 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन–पत्र

डॉ0 फैजल अंसारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप क्रमांक,1 के लिये :–

यह कि आप जिला चिकित्सालय, सीहोर में पदस्थ है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/स्था./3696, दिनांक 03.10.2019 एवं संलग्न परिशिष्ट "अ" द्वारा अवगत कराया गया है कि संचालनालय के आदेश क्रमांक/01–जी/विज्ञप्त/सेल–5/1295, दिनांक 19.07.2019 के द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत आपको जिला चिकित्सालय सीहोर में पदस्थ किया गया था। आपने जिला चिकित्सालय सीहोर में दिनांक 22.07.2019 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दिनांक 23.07.2019 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय,सीहोर में आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें। किंतु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: अभिलेखों की सूची ::

डॉ0 फैजल अंसारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :—

1— सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय सीहोर का पत्र क्रमांक/स्था./3696, दिनांक 03.10.2019, संलग्न परिशिष्ट "अ",

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

:: गवाहों की सूची ::

डॉ0 फैजल अंसारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत गवाहों की सूची :—

1-- स्थापना लिपिक,कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीहोर म.प्र.।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी.डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 4 / शिकायत / अना.अनु / फा.568 /   भोपाल, दिनांक   / 02 / 2020,

प्रति,

डॉ0 नीलम राठौर(आर्य),
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय,सीहोर(म.प्र.)

द्वारा :–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–सीहोर (म.प्र.)

विषयः–कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित–विभागीय जांच ।

–00–

आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 14 (3) अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप–पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। आरोप–पत्र में अंकित आरोप जिस पर अभिकथन आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप–पत्र एवं अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है,वह भी संलग्न हैं।

2. आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हे ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहाते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

5. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–गुना म.प्र. के माध्यम से प्राप्त नहीं होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जावेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

<u>संलग्नः</u>–1.आरोप–पत्र, 2.अभिकथन–पत्र, 3.अभिलेखो की सूची।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.........2

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.568/ 461 भोपाल, दिनांक 29/02/2020,

<u>प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—</u>

(1) प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।

(2) क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।

(3) कलेक्टर,जिला सीहोर म.प्र.।

(4) उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय।

(5) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय सीहोर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन **<u>प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।</u>**

(6) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर म.प्र.।

(7) प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।

(8) आदेश नस्ति।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

आरोप–पत्र

डॉ0 नीलम राठौर आर्य, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता है :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप जिला चिकित्सालय, सीहोर में पदस्थ है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा उनके पत्र कमांक/स्था./3696, दिनांक 03.10.2019 एवं संलग्न **परिशिष्ट "अ"** द्वारा अवगत कराया गया है कि संचालनालय के आदेश कमांक/01–जी/विज्ञप्त/सेल–5/1295, दिनांक 19.07.2019 के द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत आपको जिला चिकित्सालय सीहोर में पदस्थ किया गया था। आपने दिनांक 20.07.2019 को जिला चिकित्सालय सीहोर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दिनांक 21.07.2019 से बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन–पत्र

डॉ0 नीलम राठौर, आर्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप क्रमांक, 1 के लिये :–

यह कि आप जिला चिकित्सालय, सीहोर में पदस्थ है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/स्था./3696, दिनांक 03.10.2019 एवं संलग्न **परिशिष्ट "अ"** द्वारा अवगत कराया गया है कि संचालनालय के आदेश क्रमांक/01–जी/विज्ञप्त/सेल–5/1295, दिनांक 19.07.2019 के द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत आपको जिला चिकित्सालय सीहोर में पदस्थ किया गया था। आपने दिनांक 20.07.2019 को जिला चिकित्सालय सीहोर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दिनांक 21.07.2019 से बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय,सीहोर में आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें, किन्तु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: अभिलेखों की सूची ::

डॉ0 नीलम राठौर आर्य, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :–

1– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय सीहोर का पत्र क्रमांक/स्था./3696, दिनांक 03.10.2019 एवं संलग्न परिशिष्ट "अ",

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

:: गवाहों की सूची ::

डॉ0 नीलम राठौर आर्य, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत गवाहों की सूची :–

1– स्थापना लिपिक,कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीहोर म.प्र.।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश